न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, महवा, जिला– दौसा (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश :– आशुतोष गोसिन्हा

दाण्डिक निगरानी संख्या :– 54/2024 (सी.आई.एस. नं. 54/2024)

CNR NO - RJDS11000624-2024

1– सत्यवती पत्नी बनवारी उम्र 36 वर्ष, निवासी ओण्ड मीना,

2– बृजेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार उम्र 39 वर्ष, हाल निवासी लक्ष्मी बिहार कॉलोनी महवा तहसील महवा जिला दौसा।

3– बलवीर पुत्र मिश्रीलाल उम्र 45 वर्ष,

4– मनोहरी पुत्र रामप्रसाद, उम्र 64 वर्ष,

निवासी टीकरी जाफरान पुलिस थाना महवा, जिला दौसा।

–निगरानीकर्तागण

बनाम

1– राज0 सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक महवा जिला दौसा।

2– बाबूलाल पत्र ओमकार शर्मा जाति ब्राहमण, निवासी बासडा ब्राहमण, पुलिस थाना बसवा जिला दौसा।

–गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांकः 07.06.24 एवं दि0 04.09.2024 अज अदालत नीतू भारद्वाज अति0 मुख्य न्यायिक मजि0 महवा जिला दौसा वमुकदमा रैग्यूलर फौजदारी नं. 929/2022 सरकार बनाम बलवीर वगै0 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 120बी भा0 दं0 सं0

उपस्थित :–

1– श्री धर्मसिंह राजपूत विद्वान अधिवक्ता, वास्ते निगरानीकर्तागण।

2– श्री रतनचंद शर्मा, अपर लोक अभियोजक, वास्ते राजस्थान राज्य।

3– गैर निगरानीकार सं0 दो की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

–: आ दे श :– **दिनांकः 07.03.2026**

1– निगरानीकर्तागण सत्यवती व अन्य की ओर से यह दाण्डिक निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला

दौसा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकः 07.6.2024 एवं दिनांक 04.09.2024 से व्यथित होकर न्यायालय में दिनांकः 23.10.2024 को प्रस्तुत की है।

2– निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 26.02.2021 को परिवादी बाबूलाल के द्वारा पुलिस थाना महवा में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ''टीकरी जाफरान में शिम्भू पुत्र परभाती जाति ब्राहमण का अकेला घर है उक्त व्यक्ति वृद्ध 70 वर्ष का है, अनपढ है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, माँ बाप मर गये है, उक्त व्यक्ति गांव में मंदिर की पूजा करता है यह जन्म से गुंगा–बहरा है जो ना तो सुनता है और ना ही बोलता है तथा पीलिया व अण्डकोष एवं लिंग सूज रहा है पेशाब नहीं करता है दिखाई भी कम देता है, इसके नाम खसरा नम्बर 625/911, 632/917, 633/917, 635/619 किता 4 कुल रकबा 0.53 हेक्टयर ग्राम टीकरी जाफरान है जो कि नेशनल हाईवे नं. 21 जयपुर भरतपुर के लगी हुई है करोडों की कीमत की है, जिसे हडपने के लिये सत्यवती पत्नि बनवारी मीना निवासी ओण्ड मीना उसके भाई बलवीर पुत्र मिश्रीलाल मीना निवासी टीकरी जाफरान मनोहरी पुत्र रामप्रसाद मीना टीकरी जाफरान बृजेश मीना निवासी ओण्ड मीना दवा दिलाने के बहाने बहका कर धोखा करके चुपचाप बिना जानकारी के तहसील महवा ले आये और उसे बिना प्रतिफल दिये उसकी नासमझी में गैर जानकारी में एक बयनाया खसरा नम्बर 628/911 रकबा 0.080 हैक्टयर का सत्यवती के नाम तथा दूसरा बयनामा बलवीर के नाम सांठ गांठ करके उप पंजीयक महवा के यहां दिनांक 24.02.2021 को पंजीबद्ध करवा लिया, जिसकी शाम को जानकारी हुई, तो गांव में शोक छा गया तथा सभी गांव वाले उक्त फर्जी कार्यवाही अवैध गैर कानूनी रूप से कराये गये बयनामाओं के विरूद्ध एकजुट हुये तथा गरीब शिम्भू को न्याय दिलाने के लिये उक्त लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे....इत्यादि तहरीरी रिपोर्ट पर प्र0 सू0 रि0 सं0 131/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 420 भा0 दं0 सं0 में दर्ज कर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान निगरानीकार/अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 01.08.2022 को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 120 बी भा0 दं0 सं0 में आरोप पत्र पेश किया गया।

जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकार/अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात बहस चार्ज सुनी जाने के उपरान्त दिनांक 07.6.2024 को निगरानीकारान/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 120 बी भा0 दं0 सं0 के अपराध के आरोप प्रथम दृष्ट्या बनना पाये जाने पर दिनांक 04.9.2024 को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 120 बी भा0 दं0 सं0 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये है। उक्त आदेशों से व्यथित होकर निगरानीकार/अभियुक्तगण की ओर से यह निगरानी याचिका पेश की गई है।

3– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने निगरानी याचिका में वर्णित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.06.2024 एवं 04.09.2024 विधि एवं कानूनी प्रक्रिया के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से विश्लेषण नहीं करने से आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 07.06.2024 एवं 04.09.2024 विधि एवं रिकॉर्ड के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रार्थीगण/निगरानीकार द्वारा विधिक रूप से सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेज का पंजीयन कराया, जिस बाबत पूर्ण प्रतिफल भी अदा किया गया, उसके बाबजूद भी उक्त तथ्यों की अनदेखी कर आदेश दिनांक 07.06. 2024 एवं 04.09.2024 पारित किया जो निरस्त होने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मृतक शिम्भू पुत्र परभाती जाति ब्राहमण द्वारा तहसील कार्यालय महवा में उपस्थित होकर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने खातेदारी की भूमि का विक्रय पत्र पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने के बाद ही उक्त दस्तावेज का पंजीयन किया गया, जिस कारण उक्त दस्तावेज विधि अनुरूप तस्दीक हुआ। इस बात पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं कर कानूनी भूल की है इस कारण आदेश निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा निगरानीकार/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में जो चार्ज अभिलिखित कर लगाया है उसमें विधि के प्रावधानों का

स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अतः निगरानीकारान/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 07.06. 2024 एवं दिनांक 04.09.2024 अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

4– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह विधि, सिद्धान्तों के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

5– हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत निगरानी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्व ारा दिनांक 07.06. 2024 एवं दिनांक 04.09.2024 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। इस निगरानी याचिका के निस्तारणार्थ हमें यह विचार करना है कि **''क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश शुद्धता, वैधता या औचित्यता की कसौटी पर खरा उतरता है अथवा नहीं'' ?**

6– इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकट है कि परिवादी बाबूलाल की ओर से पुलिस थाना महवा में प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर प्र0 सू0 रि0 सं0 131/2021 अन्तर्गत धारा 420 भा0 दं0 सं0 में दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान निगरानीकार/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 120 बी भा0 दं0 सं0 के अपराध में आरोप पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले में परिवादी बाबूलाल के द्वारा निगरानीकार/अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर शिम्भू को दवाई दिलाने का झांसा देकर उसको तहसील महवा में लेकर आकर उसकी कब्जे काश्त आराजी का बयनामा लिखकर धोखे से उसके हस्ताक्षर करवा लिये गये। पत्रावली में तथाकथित दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या प्रकट है कि शिम्भू पुत्र प्रभाती के द्वारा अपनी कब्जेशुदा आराजी खसरा नंबर 632/915/0.01, 633/917/0.11, 635/919/0.13 कुल किता 3 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि

ग्राम टीकरी जाफरान का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निगरानीकार बलवीर के पक्ष में प्रतिफल राशि 5,95,000/– रूपये का भुगतान कर निष्पादित करवाया गया है, इसी प्रकार शिम्भू के द्वारा निगरानीकार सत्यवती को खसरा नंबर 628/911 रकबा 0.28 है0 स्थित ग्राम टीकरी जाफरान का संपूर्ण हिस्सा प्रतिफल राशि 5,95,000/– रूपये प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किये गये है। उक्त दोनों रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के साक्षी के तौर पर निगरानीकारान/अभियुक्तगण मनोहरलाल मीना एवं बृजेश कुमार मीना का नाम अंकित है एवं उनकी फोटो भी लगी हुई है तथा विक्रेता शिम्भूलाल के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त दोनों ही दस्तावेजात उपपंजीयक महवा के द्वारा बाद जांच निष्पादित किये गये हैं। यहां यह भी अवलोकनीय है कि शिम्भू के वादमित्र गजानंद के द्वारा उक्त दोनों विक्रय पत्रों को इस न्यायालय में चुनौती भी दी गई है, जिसके संबंध में बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता निगरानीकारान ने फर्द के साथ इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.02.2026 की फोटो प्रति पेश की है, जिसके अवलोकन से प्रकट है कि शिम्भू के वादमित्र गजानंद के द्वारा निगरानीकार सत्यवती व अन्य के विरूद्ध दावा बाबत निरस्त किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2021 पेश किया गया था। जिस पर इस न्यायालय के द्वारा उक्त दोनों विक्रय पत्रों को विधि अनुसार निष्पादित किया हुआ होना मानते हुए वादी शिम्भू के वाद को खारिज किया गया है। इस प्रकार निगरानीकारान/अभियुक्तगण के विरूद्ध जिन विक्रयपत्रों को आपराधिक षडयंत्र रचकर कूटरचना कर छल का आरोप लगाया गया है, उन दोनों विक्रय पत्रों को इस न्यायालय के द्वारा विधिअनुसार निष्पादित किया हुआ होना बाद मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य निष्कर्षित किया है अर्थात इस सिविल न्यायालय के द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की निष्पादन की कार्यवाही को विधि अनुसार माना है। अतः हमारे विनम्र मत में निगरानीकारान/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 120 बी भा0 दं0 सं0 के अपराध प्रथम दृष्ट्या बनना नहीं पाये जाते है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली का पूर्ण रूप से अवलोकन किये बिना ही पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र को आधार मानते हुए ही निगरानीकारान/अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर चार्ज विरचित किये गये हैं, अधीनस्थ

न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचार ना करते हुए सरसरी तौर पर केवलमात्र पुलिस रिपोर्ट को आधार मानते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 07.6.2024 एवं 04.09.2024 पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त तमाम विवेचन से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण के विरूद्ध जो प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, वह किसी भी प्रकार से विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता, ना ही उसे शुद्धता, वैधता अथवा औचित्यता की कसौटी पर खरा होना माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2024 व 04.09.2024 को पारित किया गया आलौच्य आदेश कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त तमाम विवेचनानुसार निगरानीकर्तागण सत्यवती व अन्य की ओर से प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

07– परिणामस्वरूप निगरानीकर्ता सत्यवती व अन्य की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक निगरानी विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता राजस्थान राज्य व अन्य स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण सं0 929/2022 सरकार बनाम बलवीर वगै0 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 07.06.2024 व 04.09.2024 अपास्त किया जाता है एवं निगरानीकारान/अभियुक्तगण को धारा 420, 120बी भा0 दं0 सं0 के अपराधों से उन्मोचित किया जाता है।

08– आदेश की सत्यप्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे ।

(आशुतोष गोसिन्हा)
अपर सैशन न्यायाधीश
महवा,जिला–दौसा(राज.)

09– यह आदेश आज दिनांकः 07.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आशुतोष गोसिन्हा)
अपर सैशन न्यायाधीश
महवा,जिला–दौसा(राज.)